4. सामान्य भविष्य निधि खातों के रख–रखाव संबंधी दिशा–निर्देश

विषय सूची

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खातों को अद्यतन रखे जाने एवं सा0भ0नि0 से अधिक भुगतान के प्रकरणों में समयबद्ध समायोजन किए जाने के सम्बन्ध में	126285 / 2023 (ई0प0क0स0–17522 / (28) / 2023) दिनांक 30 मई, 2023	121–124
2.	राज्य कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खातों को अद्यतन रखे जाने तथा जी0पी0एफ0 से अधिक भुगतान के प्रकरणों में समयबद्ध समायोजन किए जाने के सम्बन्ध में	123 / XXVII(28) / 2021, दिनांक 09 नवम्बर, 2021	125–128

/126285/2023

/126285/2023

ई0प0क0स0—17522/(28)/2023

प्रेषक,

डॉ0 अहमद इकबाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ देहरादून, दिनांक 30 मई, 2023

विषय— राज्य कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खातों को अद्यतन रखे जाने एवं सा0भ0नि0 से अधिक भुगतान के प्रकरणों में समयबद्ध समायोजन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक वित्त आडिट प्रकोष्ठ के पत्र संख्या— 123/xxvii(28)/2021, दिनांक 09 नवम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जी0पी0एफ0 सम्बन्धी ऋणात्मक भुगतान के प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये गये हैं। ऐसे प्रकरणों को सूची सहित, सम्बन्धित विभागों को समयबद्ध रूप से समायोजन/वसूली हेतु उपलब्ध कराया जाता रहा है (छायाप्रति संलग्न), किन्तु तत्सम्बन्धी धनराशि कम होने के स्थान पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन और लेखांकन की दृष्टि से उचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली/समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के निम्न प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है—

1. सामान्य भविष्य निधि से अधिक भुगतानों का प्रमुख कारण अधिष्ठान स्तर पर रक्षित की जा रही जी0पी0एफ0 पासबुक के रिकार्ड/डाटा तथा महालेखाकार कार्यालय की जी0पी0एफ0 लेखा पर्ची में साम्यता न होना है और यह भिन्नता कार्मिक के सेवानिवृत्ति के समय परिलक्षित होती है, कई बार तो सेवानिवृत्ति के कई वर्षों बाद ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं। इससे राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही संबन्धित कार्मिक को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहां अधिष्ठान के स्तर पर रक्षित की जा रही पासबुक एवं महालेखाकार कार्यालय के रिकार्ड की प्रविष्टियों में साम्यता आ जाए, इस हेतु समस्त आहरण—वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि एक अभियान के रूप में अपने—अपने अधिष्ठान अंतर्गत कार्मिकों की जी0पी0एफ0 पासबुक का मिलान उपरोक्तानुरूप करवा लें और जहां अंतर हो, वहां तत्काल महालेखाकार कार्यालय से समन्वय स्थापित किया जाए। इस

सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 का नियम 27 (3) यहां उद्धृत किया जा रहा है जिसके अनुसार, **"प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे सम्बद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के महालेखाकार कार्यालय की लेखा पर्ची/लेजरों की लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पासबुकों की प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र व्यवहार द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक करायें।"**

2. सामान्य भविष्य निधि खाते से अधिक भुगतान के प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 के नियम 11 उपनियम 6, 7, व 8 में किया गया है, इसका प्रमुख अंश इस प्रकार है–

"उपनियम–6. यदि यह पाया जाए कि अभिदाता ने निधि से आहरण के दिनांक को अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाल ली है तो अति आहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। यदि अभिदाता अभी भी सेवा में है तो साधारणतः धनराशि का प्रतिदान उसके द्वारा किया जाएगा या उससे एकमुश्त वसूल किया जाएगा किन्तु यदि वसूल की जानी वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूलियों को सेवानिवृत्ति के पूर्व की अवधि को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में, जैसा कि अवधारित की जाए, की जा सकती है। ऐसे अभिदाता के मामले में जो अब सेवा में न हो उसके द्वारा ब्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि का प्रतिदान किया जाएगा या उससे एकमुश्त वसूली की जाएगी। आहरण के समस्त मामलों में जहां अति आहरित धनराशि या उसके भाग को ब्याज सहित अन्य साधनों से वसूल नहीं किया जा सकता, वहां उसकी वसूली भू राजस्व के बकाया की भांति की जाएगी। अति आहरित धनराशि को, वसूली के पश्चात सम्बद्ध विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक के अधीन सरकारी लेखे में जमा किया जाएगा।"

" उपनियम–7, उपनियम 6 में निर्दिष्ट अति आहरित धनराशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर सम्बन्धित वर्ष/वर्षों में देय जी0पी0एफ0 ब्याज द से 2.5 प्रतिशत अधिक होगी।

3. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ के पत्र संख्या– 235/xxvii(28)/2010, दिनांक 11 मई, 2010 अनुरूप जी0पी0एफ0 से अधिक भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा कर प्रत्येक त्रैमास में निम्न प्रारूप पर सूचना शासन के वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाए–

क0सं0	अभिदाता का नाम व लेखा संख्या	महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचित ऋणात्मक भुगतान की धनराशि	विभाग द्वारा जांचोपरांत ऋणात्मक धनराशि	भुगतान की वसूली की स्थिति तथा क्या आर0सी0 जारी की गई है?	अधिक भुगतान के लिए प्रशासनिक एवं लेखा प्राधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

4. ऋणात्मक भुगतान का एक मुख्य कारण, कतिपय आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा जी0पी0एफ0 अग्रिम की प्रविष्टियां पासबुक में न किया जाना है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 108/xxvii(28)/2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है– "आहरण–वितरण अधिकारी अभिदाता के जी0पी0एफ0 से अग्रिम आहरण के समय पासबुक के सुसंगत स्थान पर प्रस्तावित अग्रिम भुगतान की प्रविष्टि करके पासबुक के दोनों पक्षों की सत्यापित छायाप्रति बिल के साथ संलग्न कर सम्बन्धित कोषागार को भेजेंगे।'

5. वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही तथा द्वितीय छमाही पूर्ण होने के एक माह के भीतर अद्यावधिक पासबुक अभिदाता को दिखाकार उस पर अभिदाता के हस्ताक्षर कराकर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

6. विभागों के स्तर पर तैयार की जाने वाली एम0पी0आर0 में एक स्तम्भ जी0पी0एफ0 अधिक भुगतान के प्रकरणों में वसूली/चालान के माध्यम से धनराशि जमा किये जाने विषयक भी अंकित किया जा सकता है ताकि इस सम्बन्ध में सतत् पर्यवेक्षण किया जा सके और समीक्षा में निरन्तरता बनी रहे।

कृपया सामान्य भविष्य निधि खातों से अधिक भुगतान के प्रकरणों, उनके कारणों व समायोजन/वसूली सम्बन्धी स्थिति आदि की सतत् समीक्षा किए जाने सहित उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक– यथोक्त</u>

भवदीय

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 30-05-2023 20:31:05

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड
3. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड
4. समस्त वित्त नियंत्रक/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
5. गार्ड फाईल

Signed by Khajan Chandra Pandey
Date: 31-05-2023 08:12:05

(खजान चन्द्र पाण्डे)
संयुक्त सचिव

संख्या–123/xxvii(28)/2021

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ

देहरादूनः दिनांकः 09 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2021

विषयः– राज्य कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खातों को अद्यतन रखे जाने तथा जी0पी0एफ0 से अधिक भुगतान के प्रकरणों में समयबद्ध समायोजन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जी0पी0एफ0 सम्बन्धी ऋणात्मक भुगतान के प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये गये हैं। ऐसे प्रकरणों को सूची सहित, संबंधित विभागों को समयबद्ध रूप से समायोजन/वसूली हेतु उपलब्ध कराया जाता रहा है, किन्तु तत्संबंधी धनराशि कम होने के स्थान पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन और लेखांकन की दृष्टि से उचित नहीं है।

इस संबंध में पूर्व में भी समय–समय पर सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/अंतिम प्रत्याहरण के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किए जाते रहे हैं, पुनः इस संबंध में आपका ध्यान निम्नलिखित प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है–

1. सामान्य भविष्य निधि से अधिक भुगतानों का प्रमुख कारण अधिष्ठान स्तर पर रक्षित की जा रही जी0पी0एफ0 पासबुक के रिकार्ड/डाटा तथा महालेखाकार कार्यालय की जी0पी0एफ0 लेखा पर्ची में साम्यता न होना है और यह भिन्नता कार्मिक के सेवानिवृत्ति के समय परिलक्षित होती है, कई बार तो सेवानिवृत्ति के कई वर्षों बाद ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं। इससे राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही संबंधित कार्मिक को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

यहां आवश्यकता है कि अधिष्ठान के स्तर पर रक्षित की जा रही पासबुक एवं महालेखाकार कार्यालय के रिकार्ड की प्रविष्टियों में साम्यता आ जाए, इस हेतु समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह 31 दिसम्बर, 2021 तक एक अभियान के रूप में अपने–अपने अधिष्ठान अंतर्गत कार्मिकों की जी0पी0एफ0 पासबुक का मिलान उपरोक्तानुरूप कर लें और जहां अंतर हो, वहां तत्काल महालेखाकार कार्यालय से समन्वय स्थापित किया जाए। इस संदर्भ में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 का नियम 27 (3) यहां उद्धृत किया जा रहा है जिसके अनुसार, **"प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे सम्बद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के महालेखाकार कार्यालय की लेखा पर्ची/लेजरों की लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पास बुकों की प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र व्यवहार द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक करायें।"**

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमाली, 2006 के नियम 11 उपनियम 6, 7 व 8 अनुरूप अधिक भुगतानों के संदर्भो में कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए, जोकि इस प्रकार है–

"उपनियम–6. यदि यह पाया जाए कि अभिदाता ने निधि से आहरण के दिनांक को अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाल ली है तो अति आहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। यदि अभिदाता अभी भी सेवा में है तो साधारणतः धनराशि का प्रतिदान उसके द्वारा किया जाएगा या उससे एकमुश्त वसूल किया जाएगा किन्तु यदि वसूल की जानी वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूलियों को सेवानिवृत्ति के पूर्व की अवधि को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में, जैसा कि अवधारित की जाए, की जा सकती है। ऐसे अभिदाता के मामले में जो अब सेवा में न हो उसके द्वारा ब्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि का प्रतिदान किया जाएगा या उससे एकमुश्त वसूली की जाएगी। आहरण के समस्त मामलों में जहां अति आहरित धनराशि या उसके भाग को ब्याज सहित अन्य साधनों से वसूल नहीं किया जा सकता वहां उसकी वसूली भू राजस्व के बकाया की भांति की जाएगी। अति आहरित धनराशि को, वसूली के पश्चात सम्बद्ध विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक के अधीन सरकारी लेखे में जमा किया जाएगा।"

"उपनियम–7. उपनियम 6 में निर्दिष्ट अति आहरित धनराशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर संबंधित वर्ष/वर्षों में देय जी0पी0एफ0 ब्याज दर से 2.5 % अधिक होगी।"

3. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ के पत्र संख्या– **235/xxvii (28)/2010, दिनांक 11 मई, 2010 अनुरूप जी0पी0एफ0 से अधिक भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा कर प्रत्येक त्रैमास में निम्न प्रारूप पर सूचना शासन के वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाए–**

क0 सं0	अभिदाता का नाम व लेखा संख्या	महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचित ऋणात्मक भुगतान की धनराशि	विभाग द्वारा जांचोपरांत ऋणात्मक धनराशि	भुगतान की वसूली की स्थिति तथा क्या आर0सी0 जारी की गई है?	अधिक भुगतान के लिए प्रशासनिक एवं लेखा प्राधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

4. ऋणात्मक भुगतान का एक मुख्य कारण, कतिपय आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा जी0पी0एफ0 अग्रिम की प्रविष्टियां पासबुक में न किया जाना है। इस संबंध में शासनादेश संख्या– 108/xxvii(28)2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है– **"आहरण–वितरण अधिकारी अभिदाता के जी0पी0एफ0 से अग्रिम आहरण के समय पासबुक के सुसंगत स्थान पर प्रस्तावित अग्रिम भुगतान की प्रविष्टि करके पासबुक के दोनों पक्षों की सत्यापित छायाप्रति बिल के साथ संलग्न कर संबंधित कोषागार को भेजेंगे।"**
5. वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही तथा द्वितीय छमाही पूर्ण होने के एक माह के भीतर अद्यावधिक पासबुक अभिदाता को दिखाकर उस पर अभिदाता के हस्ताक्षर कराकर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

कृपया विभागीय समीक्षा बैठकों में जी0पी0एफ0 से अधिक भुगतान के प्रकरणों, उनके कारणों व समायोजन/वसूली संबंधी स्थिति आदि की सतत् समीक्षा किए जाने सहित उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

पत्र संख्या–123/xxvii (28)/2021 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून
3. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड
4. समस्त वित्त नियंत्रक/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
5. गार्ड फाईल

(सौजन्या)
सचिव (वित्त)